बिहार सरकार
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
(योजना एवं विकास विभाग)

योजना एवं विकास विभाग
प्राप्ति शाखा
पत्र 6898
दिनांक 20-6-25

का०आ०सं०–अ०सां०नि० / स्था०17–18 / 2024 98 / पटना, दिनांकः– 19/06/25

कार्यालय आदेश

श्री खगेश कुमार, तत्कालीन सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, सोनवर्षा प्रखंड–सहरसा के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, सहरसा के पत्रांक–1000 दिनांक–18.11.2024 द्वारा आरोप पत्र अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया गया।

श्री कुमार को अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना के का०आ०सं०–212 सहपठित ज्ञापांक–1333 दिनांक–14.08.2024 द्वारा श्री शिवनारायण राउत, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, सौरबाजार का स्थानांतरण जिला सांख्यिकी कार्यालय, मधेपुरा किये जाने एवं उनके द्वारा दिनांक–28.08.2024 को स्वतः विरमित होने के फलस्वरूप इस जिला के 02(दो) प्रखंड–सौरबाजार एवं पतरघट रिक्त होने के कारण कार्यों को सुचारू रूप से संचालन हेतु कार्यालय आदेश ज्ञापांक–715 दिनांक–29.08.2024 द्वारा उक्त दोनों प्रखंडों का अतिरिक्त प्रभार सौंपते हुए अविलम्ब प्रभार ग्रहण कर सुचारू रूप से कार्य करने हेतु निदेशित किया गया, परन्तु उनके द्वारा प्रभार ग्रहण नहीं किया गया जिसके कारण जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण कार्य एवं अन्य सांख्यिकी कार्यों को संपादित करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ा फलस्वरूप इनके विरूद्ध अनुशासनहीनता, नियंत्री पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना, विभागीय कार्यों के प्रति लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं मनमानेपन संबंधी आरोप प्रपत्र–'क' में गठित कर जिला पदाधिकारी, सहरसा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है।

श्री खगेश कुमार के विरूद्ध गठित आरोप पत्र पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–17(4) में किये गये प्रावधान के तहत निदेशालय का पत्रांक–55 दिनांक–09.01.2025 द्वारा श्री कुमार से अभ्यावेदन की मांग की गयी। श्री कुमार द्वारा दिनांक–23.01.2025 को अभ्यावेदन समर्पित किया गया।

समर्पित अभ्यावेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा करने के उपरांत यह प्रतीत होता है कि श्री कुमार पर आर्थिक नुकसान, भ्रष्टाचार अथवा सरकारी राशि के गबन का कोई आरोप नहीं है लेकिन इनके द्वारा अपने कार्य में लापरवाही बरती गई है।

अतएव श्री खगेश कुमार, तत्कालीन सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, सोनवर्षा प्रखंड–सहरसा के विरूद्ध सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–8237 दिनांक–06.07.2017 तथा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(1) के तहत **निंदन (आरोप वर्ष 2024–25)** का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

ह० / –

(रणजीत कुमार)
निदेशक

ज्ञापांकः– अ०सां०नि० / स्था०17–18 / 2024 1033 / पटना, दिनांकः– 19/06/25

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

2. जिला पदाधिकारी, सहरसा को उनके पत्रांक–1000 दिनांक–18.11.2024 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. उप निदेशक (सांख्यिकी), कोशी प्रमंडल, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
6. श्री खगेश कुमार, तत्कालीन सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, सोनवर्षा, प्रखंड–सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक